चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा तथा 04 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त 1. वीरेन्द्र पुत्र जागेश्वर 2. जानकीशरण पुत्र शिव भवन 3.धर्मेन्द्र 4.धीरेन्द्र पुत्रगण जागेश्वर निवासीगण कालूपुर पाही 5.शिवनन्दन उर्फ रामविलास पुत्र बोड़ीलाल निवासी बालापुर खालशा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह द्वारा अभियुक्त 1.लल्लू यादव पुत्र उमाशंकर निवासी बड़ातीर सरैंया 2. जवाहरलाल पुत्र रामपाल निवासी सिगवां कोटा कंदैला 3. प्रशांत कुमार पुत्र नर्वदा प्रसाद निवासी चमरौंहा 4. बलराम उर्फ लल्लू पुत्र रामनरेश उर्फ मुन्ना निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 05 किलो 340 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया।

(क). उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना भरतकूप तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र रामधनी यादव निवासी भारतपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 01 किले 110 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ख). उ0नि श्री त्रिलोकी नाथ थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र यादव पुत्र गंगादीन यादव निवासी बांकी थाना भरुवा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 02 किलो 117 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री अवध नारायण थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त शेर खान पूत्र रमजान खान निवासी ऊंचा थोक थाना भरुवा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को 02 किलो 113 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 05 अभियुक्तों के कब्जे से 52 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री रामकृत यादव थाना मऊ तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.अमर सिंह पुत्र शिवलाल 2.राजेश पुत्र श्रीनाथ 3. इंद्रजीत पुत्र शंकर लाल निवासीगण मुस्तफाबाद थाना सराय अकिल जनपद कौशांबी तथा 4.सुरेंद्र कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी उस्मानपुर तसरी थाना सरायं अकिल जनपद कौशांबी को 10-10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये।

(ii).उ0नि0 श्री श्याम देव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अशोक पटेल पुत्र मोती लाल निवासी भेडियाही थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 12 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया ।

(क). उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा आरक्षी राजीव कुमार सिंह द्वारा एसटी नं0 69/2019 धारा 323,325,504,506 के वारण्टी अभियुक्त 1.राहुल 2.राजा तिवारी पुत्रगण राधेश्याम तिवारी निवासी खटकाना शंकरगंज हाल पता लोढ़वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया

(ख). उ0नि0 श्री कालीदीन थाना भरतकूप तथा उनके हमराही आरक्षी द्वारा एसटी नं0 4298/2022 धारा 323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.रामनरेश 2. रामबाबू पुत्रगण राजा निवासीगण छिवलहा पुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ग). उ0नि0 श्री विनय विक्रम सिंह थाना मऊ द्वारा मु0नं0 278/2023 धारा 135बी विद्युत अधिनियम की वारण्टी अभियुक्ता 01 श्रीमती सुनीता पत्नी देवी प्रसाद निवासी खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(घ). उ0नि0 श्री इमरान खान थाना राजापुर तथा उनके हमराही आरक्षी प्रकाश मिश्रा द्वारा मु0नं0 3747/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त धीरु सोनकर पुत्र प्रेमलाल सोनकर निवासी भैरमबाबा हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). आज दिनाँक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू निरीक्षक श्री सूर्यकान्त अरुण राय के मार्गदर्शन में एस चेक टीम बांदा, बीडीडीएस,डॉग स्क्वॉयड व एलआईयू चित्रकूट की संयुक्त टीम द्वारा चैत्र मास सोमवतीआमावस्या पर्व के अवसर पर सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत रामघाट , रैन बसेरा,रामायण मेला परिसर आदि स्थानों पर सघन चेकिंग की गई।

(6). आज दिनाँक 08.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा चैत्र मास सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा क्षेत्र का भ्रमण कर डियूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। महोदय द्वारा सभी से कहा गया कि मेले में आने वाले दर्शनार्थियों से विनम्र व्यवहार रहें।

(7). आज दिनाँक 08.04.2024 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री अभिषेक आनन्द एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा चैत्र मास सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रामघाट, परिक्रमा क्षेत्र का भ्रमण कर डियूटी पर तैनात पुलिस बल को सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये इस दौरान डियूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचरीगण से कहा गया कि मेले में आने वाले दर्शनार्थियों से विनम्र व्यवहार रखें।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी श्री उमेश चन्द्र निगम, उपजिलाधिकारी सदर श्री सौरभ यादव. पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 10/2020 धारा 376,506 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी श्यामदीन उर्फ चिरऊवा पुत्र ठाकुरदीन निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनाँक 01.03.2020 को वादी द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी थी कि अभियुक्त श्यामदीन उर्फ चिरऊवा उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 10/2020 धारा 376,506 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट बनाम श्यामदीन उर्फ चिरऊवा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री रविप्रकाश द्वारा की गयी थी,दिनाँक 03.03.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा दिनाँक 25.03.2022 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी रामकिशोर द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 870/2017 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कमलेश पुत्र बल्देब निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 1500 रूपए के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह, पैरोकार मुख्य आरक्षी आनंद कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2014 धारा 182 भादवि के आरोपी अभियुक्त तुलसी कोल पुत्र गुल्जार निवासी गढ़वा मजरा ऊंचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में चैत्र अमावस्या मेला में श्रीमती राजाबेटी पत्नी श्री सोमदत्त निवासी ग्राम बरियापुर थाना कुठोंध जनपद जालौन अपने परिवारीजन से रास्ते में बिछड़ गयी। ड्यूटी में तैनात चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह एवं उनकी टीम द्वारा तत्काल परिजनों की जानकारी कर सकुशल महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा पुलिस की तत्परता के लिये आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद दिया।

(12). आज दिनांक 08.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र के ग्राम लमियारी,गडौली मोड़,चिल्लीमल रोड,सुरसेन,बरद्वारा,हरिसनपुर,मिर्जापुर, खरियारीपुरवा, अर्कीतिराहा में थाना सरधुवा पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।